

अध्याय 12

साक्षियों की परीक्षा और कमीशन जारी करना

नियम 88 : साक्षियों की परीक्षा, कमीशन जारी करने की प्रक्रिया

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 16 और आदेश 26 के उपबंध किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसे उपस्थित कराने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने और साक्षियों की परीक्षा या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कमीशन जारी करने के मामले में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
